

(असाधारण भाग I — खंड - 1)

अधिसूचना

सरकारी प्रतिभूति (जी एस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2022: भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूति, की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है।

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्ता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में)
7.38% सरकारी प्रतिभूति, 2027	20 जून, 2022	05-00-00	20 जून, 2027	मूल्य	समान	7,000
7.26% सरकारी प्रतिभूति, 2032	22 अगस्त, 2022	10-00-00	22 अगस्त, 2032	मूल्य	समान	12,000
7.36% सरकारी प्रतिभूति, 2052	12 सितम्बर, 2022	30-00-00	12 सितम्बर, 2052	मूल्य	विविध	9,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपए की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई - 400001 के माध्यम से बेची जाएंगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूति पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 06 जनवरी, 2023 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 06 जनवरी, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह 10.30 बजे से पूर्वाह 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह 10.30 बजे से पूर्वाह 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. ये प्रतिभूतियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होंगी।

निर्गम की तारीख और प्रतिभूति के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वैबसाइट (www.rbi.org.in) पर 06 जनवरी, 2023 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 09 जनवरी, 2023 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूति के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और प्रतिभूति का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूति का पुनर्भुगतान परिपक्ता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	पिछले कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
7.38% सरकारी प्रतिभूति, 2027	7.38	20 दिसम्बर, 2022	08 जनवरी, 2023	20 जून और 20 दिसम्बर
7.26% सरकारी प्रतिभूति, 2032	7.26	नई प्रतिभूति	08 जनवरी, 2023	22 फरवरी और 22 अगस्त
7.36% सरकारी प्रतिभूति, 2052	7.36	नई प्रतिभूति	08 जनवरी, 2023	12 मार्च और 12 सितम्बर

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

आशीष देवराव
(आशीष वच्छानी)
अपर सचिव, भारत सरकार